



THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 671

30 Shrawan, 1941(S)

Ranchi, Wednesday, 21st August, 2019

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification
21st August, 2019

Notification No. 11/2019 – State Tax (Rate)

S.O. No. 64. Dated 21st August, 2019 -- In exercise of the powers conferred by section 55 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) , the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable State tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Jharkhand Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation. -For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall be deemed to be effective from 01st July, 2019.

[File.No Va Kar / GST / 03/ 2019]

By the order of the Governor of Jharkhand

(Prashant Kumar)
Secretary-cum-Commissioner

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

21 अगस्त, 2019

अधिसूचना सं०. 11/2019- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 64 दिनांक 21 अगस्त, 2019-- झारखण्ड माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, झारखण्ड माल एवं सेवाकर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2019 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं .वा०कर/जी०एस०टी०/03/2019]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव-सह-आयुक्त
